

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2545]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937

No. 2545]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ. 3226(अ).—िनम्निलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-meb@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की दक्षिणी दिशा में स्थित है और 11º55 से 12º10 उत्तरी अक्षांश तथा 75º44 से 76º 04 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

बह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के बीचों बीच स्थित है और 1 प्रतिशत से 35 प्रतिशत से अधिक ढाल के अंतर वाले ऊबड़ खाबड़ भूभाग उसकी विशेषता है और यह प्रतिवर्ष 2500 मि.मि. से 6000 मि.मि. के बीच उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है ।

4991 GI/2015 (1)

यह अभयारण्य स्थानिकता की उच्चदर वाली प्रचुर जैव विविधता को बढ़ावा देता है और मालाबार गंध बिलाव और सिंह पुच्छ लघु पुच्छ वानर, छरहरा लजीला वानर, नीलिगरी चिराला, जंगली कुत्ता, एशियाई हाथी, पंजा रहित ऊदबिलाव जैसी अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों के लिए एक आश्रय भी है।

यह अभयारण्य कर्नाटक में नागराहोल राष्ट्रीय पार्क तथा ताला कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और केरल राज्य में वायानद तथा अरालम वन्य जीव अभयारण्य के बीच विचरण करने के लिए एशियाई हाथी तथा बाघ जैसे विशाल स्तनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे का निर्माण करता है और हाथी परियोजना के अधीन घोषित मैसूर हाथी रिजर्व के भाग का भी निर्माण करता है।

अभयारण्य में बहुत अधिक पुष्प वनस्पित और प्राणिजगत विविधता पाई जाती है, अभयारण्य में डिपेटेरो कारप्स इन्डिक्स, एन्टियारिस टोक्सिकेरिया, किगिंओडेन्ड्रान पिन्नाटेम, डायोस्पारोउस ईबेनम, विस्सोफिया जावानाइका, कैलोफाइलम एपेटलम, सिना मोमम जेयलानाइकम, डलबर्जिया लेटिफोलिया पेट्रोकारपस मार्सुपियम, इलियो कार्पस एसपी, मिर्सिटिका एसपी; गारसाइना एस पी, मैिकलस मकारंथा, मेसुआ फेरिई, होपिया पारवी फ्लोरा, डाइसोएक्सीलम माला बरिकम, कैनारियम स्ट्रिक्टम, जे नेटम चूरा आदि जैसी बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियों से मिलकर बनी शोला चारागाहों और वनस्पित से अलंकृत सदाबहार तथा अर्द्ध सदाबहार वन हैं।

अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जंतु बाघ, तेदुआ, जंगली कुत्ता, हाथी, गौर, संबर, भौंकने वाले हिरण, नीलिगरी लंगूर, नीलिगरी चितराला पंजा रिहत ऊदिबलाव, भूरा मुसंग, तेंदुआ बिल्ली, तवांग, ट्रावनकोर उड़न गिलहरी, किंग कोबरा, इंडियन राक पायथन और मालाबार चितकबरी हार्निबल, मालाबार श्वेत हार्न बिल, मालाबार ट्रायगन, मालाबार चिलिबल, वायानद चिलिबल, सफेद तुंदा वृक्ष घालमेल, हिल मैना आदि हैं।

अभयारण्य कावेरी नदी का आवाह क्षेत्र है जो कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है और लक्ष्मण तीर्थ तक राम तीर्थ कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती हैं और इस अभयारण्य से बारहमासी सरिताएं भी निकलती हैं।

ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर क्षेत्र को जिसकी विस्तार तथा सीमा इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के रूप में संरक्षित करना एवं परिरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग उनकी संक्रियाओं तथा प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पाठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 12 किलोमीटर की सीमा तक के क्षेत्र को ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है का विस्तार 100 मी. से 12 कि.मी. तक है। जिसकी सीमाओं का वर्णन **उपाबंध।** में दिया गया है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन जिसमें कर्नाटक के कोडागु जिले के विराजपेट तालुक के 14 ग्राम हैं और 73.094 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ।
- (3) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध ॥** में रूप में संलग्न है ।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची उपाबंध III में है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी।
- (2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) नगरपालिका;
 - (vi) राजस्व ;
 - (vii) कृषि;
 - (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (ix) सिंचाई;
 - (x) लोक निर्माण विभाग।

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचार एकीकृत करने के लिए।

- (5) उक्त योजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
- (6) उक्त योजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपलब्ध होंगे।
- (7) उक्त योजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमाकंन करेगी।
- (8) उक्त योजना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, अनुवीक्षण समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10,16,22, 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सदृढीकरण और नई सड़कों का संनिर्माण ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और ;
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, अनुवीक्षण समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुपयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक स्रोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण घटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक कि.मी. के भीतर पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन संबद्ध पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के लिए अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं।
 - परंतु अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल अभिहित क्षेत्र में नए होटलों और सैरगाहों का स्थापन अनुज्ञात होंगे।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदित किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा अनुवीक्षण समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का. आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गित आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन अनुवीक्षण समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गित के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) **औद्योगिक इकाइयाँ**.- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं।
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रा	तेसिद्ध क्रियाकलाप :
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्तिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	कीसी परिसंकटमय पदार्थो का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)
9.	फर्मो, कारपोरेटों, कंपनियों द्वारा बडें पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मो की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) तथापि स्थानिय कृषको द्वारा लघु पैमाने पर परियोजनाएं
10.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापो से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलो और रिजार्टो को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नही
		परन्तु संरक्षित क्षेत्रो की सीमा से एक कि.मी की दूरी से आगे नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार

		पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए परिभाषित पदाभिहित क्षेत्रो
		में ही अनुज्ञात की जाएगी ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
12.	वृक्षों की कटाई। ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरिक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत	(क) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के
	भू-जल संचयन भी है।	लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।
		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या
		प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(क) भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना। (ख) विद्यमान घरेलू लाइनें यदि स्लोप<20 डिग्री के लिए ओवर ग्राउंड 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और स्लोप > 30 डिग्री के लिए भूमि से तीस फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए; (ग)घरेलू प्रयोजनों के लिए विद्युत लाइनो के किसी भावी जाने के लिए 11 के.वी. तक भूमि के नीचे होना है। (घ)11 के.वी. से अधिक किसी प्रेषण लाइन के लिए दो टावरों के बीच "सैग" प्वांइट भूमि कम से कम एक मीटर ऊपर होना चाहिए।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
17.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जलाशयों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्नाव की पुन:चक्रण प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट का निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और
		सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन जो करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
23.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

24.	वायु और यानीय प्रदूषण।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	पोलीथीन थैलो का उपयोंग।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन ।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप :
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	और बागवानी व्यवसायों के साथ	
	पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि	
	और मछली पालन।	
28.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
	प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
	कारीगर आदि भी हैं।	
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाए ।

- 5. अनुवीक्षण समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी अनुवीक्षण के लिए एक अनुवीक्षण समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :-
 - (i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर अध्यक्ष ;
 - (ii) माननीय विधान सभा सदस्य, विराजपेट निर्वाचन क्षेत्र, कोडागु जिला सदस्य; (कर्नाटक सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करते हुए, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, विधान सभा, कर्नाटक से अनुज्ञा है, यदि अपेक्षित हो सहित, सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन)
 - (iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य;
 - (iv) शहरी विकास विभाग कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य;
 - (v) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नाम र्निदिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि- सदस्य;
 - (vi) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर—सदस्य;
 - (vii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किए जाने वाला कार्नाटक राज्य के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्ववविद्यालय से पारिस्थितिकी में में एक विशेषज्ञ —सदस्य ;
 - (viii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि कोडागु जिला, मेडिकेरी—सदस्य ;
 - (ix) उप वन संरक्षक, मेडिकेरी वन्य जीव अभयारण्य , मेडिकेरी- सदस्य

6. निर्देश का निबंधन:

- (1) अनुवीक्षण समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित अनुवीक्षण समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के

अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित अनुवीक्षण समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) अनुवीक्षण समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध प्रखंड आयुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) अनुवीक्षण समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध हितधारक के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) अनुवीक्षण समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 4** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुवीक्षण समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा0सं0 25/168/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की पारिस्थितिक संवदी जोन की सीमा वर्णन

ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवदी जोन का सीमा वर्णन नीचे दिया गया है।

उत्तर- पारिस्थितिक संवदी जोन की सीमा रेखा सोमा माले रिजर्व वन सीमा को डी रेखा से आरंभ होकर और दक्षिण पूर्वी दिशा में आती है और उत्तरी सीमा के केरती रिजर्व वन में यह सभी साथ में पहुचती है यह वह बिंदु है जहाँ से उरती रिजर्व वन और केरती रिजर्व वन सीमा की "डी" रेखा मिलती है यानी सामान्य बिंदु में पेरमबडी टैक है।


पारिस्थितिक संवदी जोन की सीमा ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य "डी" रेखा 100 मी समांतर की चौडाई में अरजी, नांगाला, रुद्रागुप्पे, बडागा और वन , कुट्टानडी, बेगुर, हयसोदलुर, बाडागराकेरी, पाराकाटाकेरीद्, थेरालु और वन, पश्चिम निम्फाले, कुरची मनचाली और वन ग्रामों से होकर गुजरती है और कुट्टा ग्राम में उ.11.954135 पू. 76.056282 के उत्पादन जी.पी.एस तुल्य बिंदु तक पहुँचती है।

पूर्व - दक्षिण -पश्चिम -

इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में रेखा आती है और ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा यह सभी साथ में आती है और ब्रहागिरी वन्यजीव पर्वत श्रेणी के उरती रिजर्व वन और कुटुपुजाह पुल के माकुटा पर्वत श्रेणी के उरती रिजर्व वन के सामान्य बिंदु की अंतर राज्य सीमा तक पहुँचती है इसके बाद केरती रिजर्व वन सीमा की सीमा में यह सभी साथ में आडी रेखा में और सोमा माले के प्रारंभिक बिंदु तक पहुँचती है।

उपाबंध II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र



उपाबंध II जारी...

ब्रहागिरी वन्यजीव अभयारण्य सीमा के मूल बिंदु

मानचित्र में स्थिति	अक्षांश में दशमिक अंश	देशान्तर में दशमिक अंश
1	12.14828000	75.81323000
2	12.12489000	75.83027000
3	12.09115000	75.83693000
4	12.07740000	75.85961000
5	12.08121000	75.87450000
6	12.08526000	75.89074000
7	12.07233000	75.90671000
8	12.04746000	75.89552000
9	12.05987000	75.85785000
10	12.05658000	75.82459000
11	12.03042000	75.84241000
12	12.03133000	75.85438000
13	12.00411000	75.85261000
14	12.00741000	75.87199000
15	11.98876000	75.87549000

16	11.98995000	75.92429000
17	12.00104000	75.92458000
18	11.97888000	75.94063000
19	11.98329000	75.97011000
20	11.96558000	75.98498000
21	11.94469000	76.00954000
22	11.94666000	76.03438000
23	11.95350000	76.05566000
24	11.93890000	76.03440000
25	11.93016000	76.00367000
26	11.93846000	75.93160000
27	11.98056000	75.84770000
28	12.02126000	75.81066000
29	12.07766000	75.80330000
30	12.07962000	75.73648000
31	12.09820000	75.75398000
32	12.11733000	75.79123000
33	12.13326000	75.79930000

उपाबंध II जारी...

पारिस्थितिक संवदी जोन सीमा पर मूल स्थान (भू –मंडलीय स्थिति प्रणाली)

मानचित्र में स्थिति	अक्षांश में दशमिक अंश	देशान्तर में दशमिक अंश
34	12.14159800	75.79285500
35	12.14411300	75.81873500
36	12.11010600	75.83541000
37	12.08879200	75.84734600
38	12.08615800	75.86941900
39	12.05984900	75.89568400
40	12.05107500	75.87590800
41	12.04111900	75.83640700
42	12.02010000	75.85929900
43	11.98519100	75.89832000
44	11.98735300	75.93629500

45	11.97385600	75.97341000
46	11.95648000	76.02049900
47	11.95756700	76.04467300
48	11.95413500	76.05628200
49	12.06931100	75.71519200
50	12.09116200	75.70270300
51	12.09678100	75.67446200
52	12.14120800	75.66227200
53	12.17589400	75.68889800
54	12.16128900	75.70649800
55	12.14191300	75.71293600
56	12.14819600	75.74478200
57	12.14342300	75.78126500

उपाबंध III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची

क्र.सं	गाँव का नाम	तालुक का नाम	गाँव का क्षेत्रफल का नाम	अक्षांश एवं देशान्तर	टिप्पणी
1	अरजी	विराजपेट			100 मीटर
			0.64	उ.12.149495	
				पू.75.784611	
2	नांगला	विराजपेट	47.04	ਤ.12.157089	100 मीटर
			17.31	पू.75.817629	
3	रुडगुपे	विराजपेट	26.42	ਤ.12.139702	100 मीटर
			36.43	पू.75.831876	
4	बडगा और वन	विराजपेट	74.07	उ.12.112720	100 मीटर
			71.37	पू.75.842742	
5	बेगुर	विराजपेट	70.21	उ.12.102453	100 मीटर
			70.21	पू.75.865013	
6	कुतन्दी	विराजपेट	4.33	उ.12.102123	100 मीटर
			4.33	पू.75.902127	
7	हाईसोलूर	विराजपेट	26.08	उ.12.070637	100 मीटर
			20.00	पू.75.917829	
8	बडगरकेरी	विराजपेट	60.28	उ.12.042155	100 मीटर
			00.20	पू.75.900697	
9	परक्टाकेटी	विराजपेट	178.15	उ.12.037873	100 मीटर
			176.15	पू.75.863390	
10	थेरालु और वन	विराजपेट	80.38	उ.12.002924	100 मीटर
			80.36	पू.75.903126	
11	पश्चिम नेमाले	विराजपेट	6.56	ਤ.12.016629	100 मीटर
			0.30	पू.75.945129	
12	कुरची	विराजपेट	113.35	उ.11.991879	100 मीटर
			113.33	पू.75.965569	
13	मनचली और	विराजपेट	46.49	उ.11.964015	100 मीटर
	वन		40.49	पू.76.004095	
14	कुत्ता	विराजपेट	70.62	उ.11.966520	100 मीटर
			70.02	पू.76.040207	
		कुल	782.21		

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा-राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

- बैठकों की संख्या और तारीख
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
- 6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O.3226(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Brahmagiri Wildlife Sanctuary is situated in Southern side of Coorg district in the State of Karnataka and lies between North latitude 11° 55′ to 12° 19′ and East longitude 75° 44′ to 76° 04′;

AND WHEREAS, the Brahmagiri Wildlife Sanctuary lies in the core of Western Ghats and is characterized by rugged terrain with slopes varying from 1% to more than 35% slope and it is a high rain fall ranging between 2500 mm to 6000 mm per year

AND WHEREAS, the Sanctuary supports rich biodiversity with high rate of endemism and is also home for critically endangered species like Malabar Civet and Lion Tailed Macaque, Slender Loris, Nilgiri Marten, Wild Dog, Asian Elephant, Clawless Otter;

AND WHEREAS, the Sanctuary forms an important corridor for large mammals like Asian Elephant and Tiger to move between Nagarahole National Park and Talacauvery Wildlife Sanctuary in Karnataka and Wayanad and Aralam

Wildlife Sanctuaries in Kerala state and also forms part of the Mysore Elephant Reserve declared under the Project Elephant;

AND WHEREAS, the sanctuary area has a very high Floral and Faunal diversity, the sanctuary consists of evergreen and semi-evergreen forests interspersed with shola grasslands and the vegetation comprises of very important species like Dipterocarpus indicus, Antiaris toxicaria, Kingiodendron pinnatum, Diospyrous ebenum, Bischofia javanica, Calophyllum apetalum, Cinnamomum zeylanicum, Dalbergia latifolia, Pterocarpus marsupium, Elaeocarpus sp., Myrstica sp., Garcinia sp., Machilus macarantha, Mesua ferrea, Hopea parviflora, Dysoxylum malabaricum, Cannarium strictum, Gnetum ula, etc.

AND WHEREAS the important animals found in the sanctuary are Tiger, Leopard, Wild Dog, Elephant, Gaur, Sambar, Barking deer, Nilgiri Langur, Nilgiri Marten, Clawless Otter, Brown Palm Civet, Leopard cat, Slender loris, Travancore flying squirrel, King cobra, Indian rock python, and Malabar pied hornbill, Malabar grey hornbill, Malabar trogon, Malabar whistling thrush, Wayanad laughing thrush, White-bellied tree-pie, Hill myna etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary is catchment for River Cauvery which is an important River of Karnataka and Lakshmanthirtha and Ramathirtha are the tributaries of River Cauvery that originates from Brahmagiri Wildlife Sanctuary and many perennial streams also originate from the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Brahmgiri Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 12 kilometers from the boundary of Brahmgiri Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Brahmgiri Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-**(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 100 meters to 12 kilometers from the boundary of Brahmgiri Wildlife Sanctuary and the description of boundaries is given in **Annexure I**.
- (2) The Eco-sensitive Zone includes 14 villages in Virajpet taluk of Kodagu District in Karnataka and is spread over an area of 73.094 square kilometers.
- (3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II**;
- (2) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The said Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (viii) State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The said plan shall provide details for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The said Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

[PART II—SEC. 3(ii)]

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Brahamgiri Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Ecotourism facilities as per Tourism Master Plan.

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;
- (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (d) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.
- 4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
Prohibited Ac	tivities			
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of bona fide local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.		
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.		
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.		
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.		
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.		
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.		
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.		
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.		
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws. However, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted.		
	Regulated Activities			
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:		
		Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.		

11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3.
		(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.
		(d) Beyond one kilometer and upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;
		(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;
		(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;
		(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;
		(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and	(a) Promote underground cabling.
	telecommunication towers.	(b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground.
		(c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground.
		(d)For any transmission line more than 11 KV, the "sag" point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under the laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under per laws.

18.	Introduction of exotic species.	Regulated under the laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under the laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under the laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under the laws.
24	Air and vehicular pollution.	Regulated under the laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated under the laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under the laws.
	Promoted	Activities
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under the laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

- **5. Monitoring Committee:-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-
- (i) Regional Commissioner, Mysore Chairman
- (ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Virajpet Constituency, Kodagu District Member
 (Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)
- (iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member;
- (iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member;
- (v) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India Member;

- (vi) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore Member;
- (vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India M ember.
- (viii) Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri Member
- (ix) The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/168/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of the eco-sensitive zone around Brahmagiri Wildlife Sanctuary.

Boundary Description of the eco-sensitive Zone of the Brahmagiri wildlife sanctuary is as under.


North: The boundary line of Eco-sensitive Zone starts at Soma Male on the "D" line of Kerti reserve forest boundary and runs in South-Eastern direction and all along the northern boundary of Kerti reserve forest till it reaches a point where the "D"-line of Urti reserve forest and Kerti reserve forest meets i.e. common point at Perambadi tank.

The Eco-sensitive Zone boundary line then runs at a width of 100m parallel to the D-Line of Brahmagiri Wildlife Sanctuary passing through the villages of Arji, Nangala, Rudraguppe, Badaga & Forest, Kuttandi, Begur, Hysodlur, Badagarakeri, Parakatakeri, Theralu & Forest, West Nemmale, Kurchi, Manchalli & Forest and reaches a point bearing GPS Co-ordinates N 11.954135 E 76.056282 in the village Kutta.

East – **South** – **West**: Then the line runs in South-Western direction and runs all along the common boundary of Brahmagiri Wildlife Sanctuary and interstate boundary till it reaches the common point of Urti reserve forest of Brahmagiri Wildlife Range and Kerti reserve forest of Makutta Range at Kutupuzha Bridge. Then the line traverses all along the boundary of Kerti reserve forest and reaches the starting point at Soma Male.

Annexure II

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:



Annexure II contd..

Key points (Global Positioning System Points) on the Brahmagiri Wildlife Sanctuary boundary.

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals
1	12.14828000	75.81323000
2	12.12489000	75.83027000
3	12.09115000	75.83693000
4	12.07740000	75.85961000
5	12.08121000	75.87450000
6	12.08526000	75.89074000
7	12.07233000	75.90671000
8	12.04746000	75.89552000
9	12.05987000	75.85785000
10	12.05658000	75.82459000
11	12.03042000	75.84241000
12	12.03133000	75.85438000
13	12.00411000	75.85261000
14	12.00741000	75.87199000
15	11.98876000	75.87549000
16	11.98995000	75.92429000
17	12.00104000	75.92458000
18	11.97888000	75.94063000

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals	
19	19 11.98329000 75.9701		
20	11.96558000	75.98498000	
21	11.94469000	76.00954000	
22	11.94666000	76.03438000	
23	11.95350000	76.05566000	
24	11.93890000	76.03440000	
25	11.93016000	76.00367000	
26	11.93846000	75.93160000	
27	11.98056000	75.84770000	
28	12.02126000	75.81066000	
29	12.07766000	75.80330000	
30	12.07962000	75.73648000	
31	12.09820000	75.75398000	
32	12.11733000	75.79123000	
33	12.13326000	75.79930000	

Key locations (Global Positioning System) on the Eco Sensitive Zone boundary

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals	
34	12.14159800	75.79285500	
35	12.14411300	75.81873500	
36	12.11010600	75.83541000	
37	12.08879200	75.84734600	
38	12.08615800	75.86941900	
39	12.05984900	75.89568400	
40	12.05107500	75.87590800	
41	12.04111900	75.83640700	
42	12.02010000	75.85929900	
43	11.98519100	75.89832000	
44	11.98735300	75.93629500	
45	11.97385600	75.97341000	

Location on the Map.	Latitude in Degree-Decimals	Longitude in Degree-Decimals	
46	11.95648000	76.02049900	
47	11.95756700	76.04467300	
48	11.95413500	76.05628200	
49	12.06931100	75.71519200	
50	12.09116200	75.70270300	
51	12.09678100	75.67446200	
52	12.14120800	75.66227200	
53	12.17589400	75.68889800	
54	12.16128900	75.70649800	
55	12.14191300	75.71293600	
56	12.14819600	75.74478200	
57	12.14342300	75.78126500	

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

.

ID No. on the Map.	Name of the Village	Name of the Taluk	Extent of Each Village in ha.	Latitude & Longitude	Remarks
1	Arji	Virajpet	0.64	N 12.149495 E 75.784611	100 meters
2	Nangala	Virajpet	17.31	N 12.157089 E 75.817629	100 meters
3	Rudraguppe	Virajpet	36.43	N 12.139702 E 75.831876	100 meters
4	Badaga & Forest	Virajpet	71.37	N 12.112720 E 75.842742	100 meters
5	Kuttandi	Virajpet	70.21	N 12.102453 E 75.865013	100 meters
6	Begur	Virajpet	4.33	N 12.102123 E 75.902127	100 meters
7	Hysodlur	Virajpet	26.08	N 12.070637 E 75.917829	100 meters
8	Badagarakeri	Virajpet	60.28	N 12.042155 E 75.900697	100 meters
9	Parakatakeri	Virajpet	178.15	N 12.037873 E 75.863390	100 meters
10	Theralu & Forest	Virajpet	80.38	N 12.002924 E 75.903126	100 meters
11	West Nemmale	Virajpet	6.56	N 12.016629 E 75.945129	100 meters
12	Kurchi	Virajpet	113.35	N 11.991879 E 75.965569	100 meters
13	Manchalli & Forest	Virajpet	46.49	N 11.964015 E 76.004095	100 meters
14	Kutta	Virajpet	70.62	N 11.966520 E 76.040207	100 meters
		Total	782.21		

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as
- 5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.